

सभी पेंशनभोगी स्टाफ के लिए नोटिस

विषय: <u>08वें संयुक्त नोट /11वें द्विपक्षीय समझौता दिनांक 11.11.2020 के अनुसार वेतनवृद्धि से संबधि</u> कम्यूटेशन के बिना संशोधित मूल पेंशन प्राप्त करने के लिए विकल्प.

08वें संयुक्त नोट /11वें द्विपक्षीय समझौता दिनांक 11.11.2020 के अनुक्रम में अधिकारियों एवं कामगारों के लिए वेतन संसोधन और संशोधित सेवा शर्तों का संदर्भ लें.

संशोधित मूल पेंशन पर वेतनवृद्धि संबंधी कम्यूटेशन के विकल्प को नहीं अपनाने के संबंध में आईबीए और अधिकारी एमोशिएसन के बीच 08वें संयुक्त नोट के खंड 9(बी) तथा आईबीए और कामगार यूनियन के बीच द्विपक्षीय समझौते के खंड सं.15 (1) के अनुसार अधिकारी /कर्मचारी जो बैंक की सेवा में 01 नवंबर 2017 को थे और जिनकी मेवानिवृत्ति उसके बाद लेकिन समझौते की तारीख से पहले हुई है और जिन्होंने कम्यूटेशन पेंशन के विकल्प का चयन किया था उनके पास यह अवसर होगा कि वे संशोधित मूल पेंशन पर वेतनवृद्धि संबंधी कम्यूटेशन के विकल्प का दावा नहीं करें.

इस संबंध में सभी स्टाफ पेंशनभोगियों को जो 01 नवंबर 2017 के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं और जो दिनांक 11.11.2020 के 08वें संयुक्त नोट/11वें द्विपक्षीय समझौता के अनुसार वेतनवृद्धि संबंधी कम्यूटेशन के विकल्प का दावा करने के इच्छुक नहीं हैं उनको सूचित किया जाता है कि बिना वेतनवृद्धि संबंधी कम्यूटेशन के मूल पेंशन प्राप्त करने के लिए अपना विकल्प पूर्व-कर्मचारी पोर्टल में दिनांक 07.02.2021 से पहले प्रस्तुत करें.

डम मंदर्भ में पेंशनभोगी पूर्व-कर्मचारी पोर्टल यूआरएल https://easiest.bobinside.com:8443/ex_empModule/Login.aspx के माध्यम से अपनी सहमित आनलाइन दर्ज कर सकते हैं. इसे इंटरनेट या एंड्रॉयड / आईओएस स्मार्ट फोन पर भी एक्सेस किया जा सकता है.

ऐसे स्टाफ पेंशनभोगियों के मामले में जो 01 नवंबर 2017 के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं और अपना विकल्प 07.02.2021 से पहले प्रस्तुत नहीं करते हैं तो संयुक्त नोट / द्विपक्षीय समझौता दिनांक 11.11.2020 के अनुसार उनकी सेवानिवृत्ति के समय दिए गए विकल्प को वेतनवृद्धि संबंधी क्रम्यूटेशन के संदर्भ में उनके विकल्प के रूप में माना जाएगा.

(एस कन्नन)

(20 00)

उप महाप्रबंधक (एच आर एम)

दिनांक: 16.01.2021.

92



ऑनलाइन प्रस्तुत करने हेतु जॉब कार्ड

1. बैंक की वेबसाइट (www.bankofbaroda.com) पर उपलब्ध भूतपूर्व-कर्मचारी पोर्टल पर लॉग इन करें अथवा सीधे

URL: https://easiest.bobinside.com: 8443/ex empModule/Login.aspx से भी एक्सेस कर सकते हैं:

- 2. उपयोगकर्ता आईडी प्रविष्ट करें = कर्मचारी कूट संख्या पासवर्ड = जन्म तिथि (प्रारूप xx-xx-xxxx है)
- 3. पेंशन पर क्लिक करें और वेतनवृद्धि संबंधी कम्यूटेशन का चयन करें.
- 4. पेज़ पर जाएं और रेडियो बटन का चयन करें (यदि कम्यूटेशन का विकल्प नहीं लिया जा रहा है तो)
- 5. सबमिट करें

नोट:

यदि पेंशनभोगी वेतनवृद्धि संबंधी क्म्यूटेशन का विकल्प लेना चाहते हैं तो किसी भी विकल्प का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है.



NOTICE TO ALL STAFF PENSIONERS

Re: Option for receiving revised Basic Pension without incremental Commutation as per 08th Joint Note/11th Bipartite Settlement dated 11.11.2020.

In continuation of 08TH joint Note/11th Bipartite Settlement dated 11.11.2020 regarding implementation of salary revision and modified service conditions of Officers and Workmen staff.

As per Clause no.9(b) of 08th Joint Note between IBA and officers' Association and Clause no.15 (1) of 11th Bipartite Settlement between IBA and Workmen Union with regard to <u>Option not to claim incremental commutation on revised basic pension</u> states that Officers/Employees in services of the Bank as on 01st November 2017 and who have retired thereafter but before the date of this settlement and who had opted for commutation of pension will have an option not to claim incremental commutation on revised basic pension.

In this regard, all the staff pensioners who retired after 01.11.2017 and who are <u>not</u> willing to opt incremental commutation in terms of 08th Joint Note/11th Bipartite Settlement dated 11.11.2020 are hereby informed to submit their Option in Ex-employee portal before 07.02.2021 for receiving revised basic pension without incremental commutation. No manual application will be entertained.

In this regard, the Pensioner can submit their willingness online through Ex-employee portal <u>URL:https://easiest.bobinside.com:8443/ex_empModule/Login.aspx</u> which can be accessed over internet even on Android/IOS smart phones.

In case of staff pensioner retired after 01.11.2017 who do not give their option before 07.02.2021, the option submitted by them at the time of retirement will be treated as their choice with regard to incremental commutation as per Joint Note/Bipartite settlement dated 11.11.2020.

(S.KANNAN)

DEPUTY GENERAL MANAGER (HRM)

Date: 16.01.2021.

प्रधान कार्यालय, मानव संसाधन-परिचालन विभाग, बरौड़ा भवन, आर.अस नं 576, आर.सी दत्त रोड, अलकापुरी, बरौड़ा-390007, भारत Head Office, HRM, Baroda Bhawan , R S No 576, R C Dutt Road, Alkapuri , Baroda - 390 007, INDIA फोन / Tel. : 91 265 2316640

Email:pension.ho@bankofbaroda.com



JOB CARD FOR ONLINE SUBMISSION

- 1. Login to ex-employee portal which is available in bank's website (www.bankofbaroda.com) or can access directly from URL: URL:https://easiest.bobinside.com:8443/ex_empModule/Login.aspx
- 2. Enter User ID = EC No Password = Date of Birth (format is xx-xx-xxxx)
- 3. Click Pension and select incremental commutation
- 4. Go through the page and select radio button (if not opting for commutation)
- 5. Submit

Note:

If the pensioner want to opt for incremental commutation, no need to exercise any options.